(IV)

189

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

-8 SEP 2011

No. L.A. /Sur./ 225 **Date:** 07/09/2011

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Vikas Bhawan, Beli Road,
Patna

Sir,

Audit Report No **64/2011-12** on the accounts of **Nagar Parishad, Dehri-Dalmiyanagar** for the period **2008-09 to 2009-10** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely,

Encl: - As above

07/9/11
Sr. Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing,
Bihar, Patna

1261
13/9/11

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्याः– 64/2011–12
नगर परिषद डिहरी डालमियानगर

1 प्रस्तावना :–

नगर परिषद डिहरी डालमियानगर के वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 तक के लेखाओं की नमूना जांच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के एक लेखा–परीक्षा दल द्वारा दिनांक 14.03.11 से 29.03.11 तक की अवधि में की गयी।

2 प्रशासन

क्रम सं0	अध्यक्ष का नाम	अवधि
1	श्रीमति सुनीता पासवान	01.04.08 से 31.03.10

क्र0 सं0	उपाध्यक्ष का नाम	अवधि
1	श्रीमति विन्दा देवी	01.04.08 से 31.03.10

क्र0 सं0	कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
1	श्री अवधेश कुमार आनंद	01.04.08 से 14.10.08
2	श्री राज किशोर लाल	15.10.08 से 22.12.08
3	श्री मुन्नी लाल दास	23.12.08 से 20.03.09
4	मो0 बशीर	21.03.09 से 22.07.09
5	श्री शिव कुमार शैव	23.07.09 से 31.03.10

3. लेखा परीक्षा का क्षेत्र

अंकेक्षण मे जांच किये गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नही किये गए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दी गयी है।

4 आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

बिहार म्युनिसिपल लेखा नियम 1928 (नियम 20,64 एंव 73 (क)) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदा0 अथवा अन्य जिम्मेवार पदाधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाय, के द्वारा किया जाएगा। इस तरह के जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गयी थी।
अभिलेखों की जॉच के क्रम में यह पाया गया कि इस तरह की जॉच की व्यवस्था नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा नही की गयी, जिसके कारण अभिलेखों के संधारण में अनियमितता पायी गयी। इनका उल्लेख प्रतिवेदन की कंडिकाओं मे की गयी है।
अतः नगर परिषद प्रशासन से अनुरोध है कि नियम के उपबंधों के अनुरूप जॉच की व्यवस्था की जाय ताकि किसी भी संभावित अनियमितता से बचा जा सकें।

5. अधिदृश्य

नगर परिषद,डिहरी का वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए आय–व्यय विवरणी निम्न है

		2008–09	2009–10
1.	प्रारंभिक शेष	19876511.00	28751441.92
2	वर्ष का आय	25897461.87	22646252.00
3	कुल आय	45773972.87	51397693.92
4	वर्ष का व्यय	17022530.95	10618874.50
5	अंत शेष	28751441.92	40778819.42

अंकेक्षण आपत्तियाँ–

(I) रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.03.10 का अंतशेष = ₹40778819.42

बैंक खाता के अनुसार दिनांक 31.03.10 का अन्तशेष

1	कोषागार खाता	6164164
2	प्रशासनिक भवन (A/C No. 73490100080268) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक डिहरी)	395947
3	B.P.L सर्वेक्षण (A/C No. 67090, MBGB डीहरी)	10124
4	खाता सं0 11352484466 S.B.I डिहरी	387362
5(क)	खाता सं0 57118,MBGB डिहरी	467971
(ख)	खाता सं0 57896 P.N.B डिहरी	2585
6	पेंशन निधि (खाता सं0–1943874913, S.B.I डिहरी)	23157
7	IDSMT(खाता सं0–281560 P.N.B डिहरी)	12836229
8	B.R.G.F (खाता सं0 266817 P.N.B डिहरी)	16204441
9	बारहवीं वित्त आयोग (खाता सं0 77112, MBGB डीहरी)	470381
10.	कबीर अंत्येष्टि (खाता सं0 77130 MBGB डीहरी)	1051011
11	बालिका समृद्धि (खाला सं0 20845, बैंक ऑफ इंडिया डिहरी)	421571
12	गंदी वस्ती	
(क)	खाता सं0 57887 PNB भेड़िया	2099857
(ख)	खाता सं0 47856 MBGB भेडिया	47436
13	स्वर्ण जयंती (खाता सं0 45159 MBGB डिहरी)	738022
14	MLC FUND (खाता सं0 17121 MBGB डिहरी)	111659
	योग–	41431917

अन्तर = 41431917–40778819.42 = 653097.58

अंतर का बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था। अतः इसे तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(II) नगर परिषद में इसके अलावे अन्य सहायक रोकड़ बही का संधारण किया गया जिसका स्थिति इस प्रकार हैं:–

कम सं0	मद का नाम	रोकड़ बही का 31.03.10 का अन्तशेष	पासबुक का 31.3.10 का अंतशेष	अन्तर
1	स्वर्णजयन्ती A/C No.4545 MBGB डिहरी	712853	738022	25169
2	गंदी वस्ती विकास कार्यकम			
(i)	खाता सं0 47856 MBGB डिहरी	45941	47436	73104
(ii)	खाता सं0 57887 PNB भेड़िया	2028248	2099857	
3	एकादश			
(i)	खाता सं0 57118 MBGB डिहरी	452043	467971	16016
(ii)	खाता सं0 57896 PNB भेड़िया	2497	2585	
4	पेंशन निधि खाता सं0 1943874913 S.B.I डिहरी	22431	23157	726
5	IDSMT खाता सं0 281560 P.N.B डिहरी	12406195	12836229	430034

रोकड़ बही का अन्तशेष एवं बैंक खाता का अन्तशेष के अन्तर के लिए बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(III) पी0 एल0 खाता रोकड़ बही

पी0 एल0 खाता रोकड़ वही का संधारण सही ढ़ंग से नहीं किया गया, इसके संधारण में निम्नलिखित त्रुटियॉ पायी गयी

(i) वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में प्रारम्भिक शेष एव अंतिम शेष नही दर्शाया गया।

(ii) आय एवं व्यय शीर्ष का वर्गीकरण नहीं दर्शाया गया।

(iii) भुगतान की गयी प्रविष्टियों के विरूद्ध वाउचर सं0 एवं चेक सं0 नहीं दिया गया।

(iv) मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक आय–व्यय को जोड़ नहीं किया गया।

उपरोक्त त्रुटियो के कारण कभी भी वित्तीय अनियमितता हो सकती है। अतः इन त्रुटियों को दूर कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

6. पूर्ववर्ती लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन

लेखा परीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया, जिससे लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखा परीक्षा दल द्वारा नही की जा सकी। लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाये जाय।

7 महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा उपलब्धियॉ

क0 सं0	कंडिका सं0	विवरण
1	13	कबीर अंत्येष्टि
2	16	जमा नहीं
3	17	बस पड़ाव की विभागीय वसूली
4	18	बस पड़ाव स्थित सुलभ शौचालय की बंदोबस्ती
5	19	प्रत्यक्ष विनियोजन
6	20	बकाया किराया
7	25	डिजल खरीद पर ₹ 2,02,336.27 का व्यय
8	26	ट्रेक्टर खरीद पर 23,10,151 का भुगतान
9	27	रोहतास उद्योग पुजं पर बकाया भवन कर
10	29	कम जमा
11	31	बस स्टैंड की वसूलीकर्त्ताओं को मानदेय का भुगतान
12	33	अग्रिम

8 मुख्य लेखा पंजियों का संधारण नही किया जाना तथा आंतरिक नियंत्रण का अभाव

बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 एवं बिहार म्युनिसिपल एकांउट्स रूल 1928 में वर्णित मुख्य लेखा पंजियों का संधारण नही किया गया, यथा–वार्षिक वित्त विवरण (बजट), मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखे, अनुदान पंजी, ऋण पंजी, ऋण विनियोजन पंजी अग्रिम पंजी, मुख्य करों की मॉग पंजी एवं योजना पंजी इत्यादि का संधारण नही किया गया। मोबाइल टावर की मॉग एवं वसूली पंजी भी संधारित नही की गयी। इन पंजियों के अभाव में मॉग एवं वसूली की वास्तविक स्थिति, अनुदान एवं संबंधित योजनाओं की स्थिति का पत्ता नही चल पाया। यह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी एवं विफलता को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप उच्चपदाधिकारी गंभीर वित्तीय अनियमिताओ जैसे– नगर परिषद निधि के दुरूपयोग एवं गबन इत्यादि को नियंत्रित करने में समर्थ नही हो पाएगे।

9.नगर परिषद निधि का कोषागार के अतिरिक्त अन्य बैंक खातों में भी रखा जाना

नगर परिषद निधि को सासाराम कोषागार के अतिरिक्त कई अन्य बैंक खातों में भी रखा गया, जो प्रावधानों का उल्लंघन है। प्रावधानो के अनुसार जबतक राज्य सरकार अन्यथा निर्देशित नही करे, नगर परिषद में प्राप्त सभी राशियॉ राज्य सरकार के कोषागार में जमा की जाएगी।

अतः वर्तमान में संचालित सभी बैंक खातों को बंदकर उनकी अवशेष राशि सासाराम कोषागार में नगर परिषद के पी0 एल0 एकाउन्ट मे जमा की जाय।

10. बजट

बिहार म्यूनिसिपल अधिनियम 2007 की धारा 82 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बजट प्राक्कलन तैयार कर नगर परिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है एवं अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत नगर परिषद द्वारा स्वीकृत बजट प्राक्कलन राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक भेजी दी जाएगी।
लेखा परीक्षा अवधि 2008–09 एवं 2009–10 में बजट प्राक्कलन तैयार नही किया गया। नगर परिषद कोष से ऐसा कोई व्यय नही किया जा सकता है जो आयुक्तों/ परिसर सदस्यों द्वारा प्राधिकृत एवं बजट प्राक्कलनों के अनुसार स्वीकृत न हो। अतः भविष्य में बजट बनाकर एवं उसे पारित कराकर बजट के अनुसार व्यय किया जाय।

11. मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखे का संधारण

बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 के नियम 82 से 84 के अनुसार नगर परिषद को मासिक त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार करना वांछित है।उक्त लेखे को संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

12 स्टाम्प शुल्कः–

नगर परिषद डिहरी द्वारा मुदांक शुल्क से संबंधित पंजी संधारित नही किया गया। लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार बर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में प्राप्त हुए मुद्रांक शुल्क का विवरण निम्न है

क0 सं0	पत्रांक/दिनांक	राशि	विवरणी
1	1993/17.04.09	5,44460	शीर्ष 0030 स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (जून 2008)
2	297/28.08.09	11,74,860	शीर्ष 0030 स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क(सितम्बर 08,दिसम्बर 08)

अतः स्टाम्प शुल्क से संबंधित पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

13 कबीर अंत्येष्टि

कबीर अंत्येष्टि के सहायक रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए आय–व्यय विवरणी निम्न है

		2008–09	2009–10
1	प्रा0 शेष	शून्य	2,92,400
2	वर्ष का आय	2,92,500	10,82,111
3	कुल आय	2,92,500	13,74,511
4	वर्ष का व्यय	100	3,23,500
5	अंतशेष	2,92,400	10,51,011

बैंक पास बुक के अनुसार 31.03.10 का अन्तशेष = 10,51,011/–A/c No-73490100077130 मध्य बिहार ग्रामीण बैंक डेहरी

अंकेक्षण आपत्तियों

(1) अनुदान दावा प्रपत्रों का बी0 पी0 एल0 सूची के साथ जॉच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2009–10 में 9 ऐसे व्यक्तियों को अनुदान दिया गया जिसका नाम BPL सूची के उस वार्ड सं0 एवं **BPL** कमांक में नही पाया गया जो वार्ड सं0 एवं BPL कमांक अनुदान दावा प्रपत्र पर अंकित था। विवरण निम्न है

क0 स0	अनुदान प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं अनुदान दाव प्रपत्र पर अंकित वार्ड सं0 एवं BPL कमांक	अनुदान दावा प्रपत्र पर अंकित वार्ड सं0 एवं BPL कमांक के अनुसार BPL सूची में अंकित नाम	अनुदान की राशि
1	श्री हरि चौधरी, पिता–स्व0 रामचंद्र चौधरी, वार्ड सं0–12 BPL कमांक –337	श्री रामजी चौधरी, पिता– राजेन्द्र चौधरी, वार्ड सं0 –12 BPL कमांक–337	1500
2	श्री प्रदीप विश्वकर्मा पिता– राम देव	श्री सुरेश विश्वकर्मा, पिता– कपिल देव	1500

	विश्वकर्मा, वार्ड सं0–5 BPL क्रमांक –169	विश्वकर्मा, वार्ड सं0 –5 BPL क्रमांक–169	
3	श्री बबनराय, पिता–स्व0 हजारी राम, वार्ड सं0–09 BPL क्रमांक –04	श्री देव कुमार राम, पिता– बबन राम, वार्ड सं0 –09 BPL क्रमांक–04	1500
4	श्री सूर्यबली सिंह, पिता–वासुदेव सिंह, वार्ड सं0–05 BPL क्रमांक –112	श्री सूर्यवंशी यादव , पिता– वासुदेव यादव, वार्ड सं0 –05 BPL क्रमांक–112	1500
5	श्री लल्लू शर्मा, पिता–स्व0 अमर नाथ शर्मा, वार्ड सं0–36 BPL क्रमांक –333	श्री राम भजन, पिता– मानिक चंद्र, वार्ड सं0 –36 BPL क्रमांक–333	1500
6	श्री पिंटु शर्मा, पिता–विरेन्द्र राम, वार्ड सं0–21 BPL क्रमांक –81	श्री विरेंद्र प्रसाद, पिता– चुरफेकन सिंह, वार्ड सं0 –21 BPL क्रमांक–81	1500
7	श्री चन्देश्वर कुमार, पिता–रामप्यारे महतो, वार्ड सं0–17 BPL क्रमांक –163	श्रीमति नगीना देवी , पत्नि– स्व0 राम प्यारे सिंह, वार्ड सं0 –17 BPL क्रमांक–163	1500
8	श्री रंजीत कुमार, पिता–छठठु साव, वार्ड सं0–36 BPL क्रमांक –131	श्रीमती शांती कुंवर, पत्नि– स्व0–कैलाश राम , वार्ड सं0 –36 BPL क्रमांक–131	1500
9	श्री रितेश कुमार, सिंह पिता–स्व0 हीरा सिंह, वार्ड सं0–07 BPL क्रमांक –199	श्री पंकज राम, पिता– रामजीराम, वार्ड सं0 –07 BPL क्रमांक–199	1500
		कुल	13,500

अंकेक्षण मे यह स्पष्ट नही किया गया कि उपर्युक्त दावा कर्त्ताओं का BPL सूची में नाम नही होने के बावजूद भी किस आधार पर अनुदान दिया गया। अतः अनुदान देने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति से ₹13,500/– की बसूली की जाय।

(2) अनुदान दावा प्रपत्र के जॉच मे पाया गया कि श्री किशोरी प्रसाद गुप्ता, पिता स्व0 भगवान दीन गुप्ता, जिनका वार्ड सं0 27 एवं BPL क्रमांक 122 हैं, को अपनी मॉ स्व0 ललिता देवी की दाह संस्कार के लिए दिनांक 01.10.09 को ₹1500/– अनुदान दिया गया

परंतु वार्ड सं0 27 एवं BPL क्रमांक 122 के बी0 पी0 एल0 लाल राशन कार्ड की जॉच में पाया गया कि यह लाल कार्ड श्री किशोर प्रसाद गुप्ता, पिता– स्व0 नयन साव का है। इस कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों में स्व0 ललिता देवी का नाम नही पाया गया।

अंकेक्षण को यह स्पष्ट नही किया गया कि किस आधार पर उस व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए अनुदान दिया गया जिसका नाम BPL कार्ड में नही है। अतः अनुदान देने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति से ₹ 1500/– की वसूली की जाय

(3) अन्य अनियमितताएँ

(i) सहायक रोकड़ बही का दैनिक, मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक closing नही किया गया।

(ii) सहायक रोकड़ बही पर किसी भी कर्मचारी/ अधिकारी का हस्ताक्षर नही पाया गया।

(iii) अनुदान दावा प्रपत्र पर दावा प्राप्तकर्त्ता द्वारा लगाए गए अंगूठे के निशान को प्रमाणित नही किया गया।

(iv) बहुत सारे अनुदान दावा प्रपत्र ऐसे पाये गए जिस पर अनुदान प्राप्तकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर तो किया गया परंतु कितना राशि प्राप्त किया, यह दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया। अतः उपर्युक्त अनियमितताओं को दूर कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

अंकेक्षण में दावा प्रपत्र की मूलप्रति न दिखाकार उसकी छायाप्रति दिखायी गयी।

14. <u>पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष</u>

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के सहायक रोकड़ वही के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए आय–व्यय विवरणी निम्न है:–

		2008–09	2009–10
1	प्रा0 शेष	शून्य	6467833

183

2	वर्ष का आय	6468013	12574570
3	कुल आय	6468013	19042403
4	वर्ष का व्यय	180	4057893
5	अन्तशेष	6467833	14984510

अंकेक्षण आपत्तियॉः–

(i) दिनांक 31.03.10 को रोकड़ वही का अन्तशेष – ₹14984510 दिनांक 31.03.10 को बैंक पास बुक का अन्तशेष (A/cNo- 0607000100266817 PNB Dehri) ₹16204441
अन्तर= 16204441–14984510 =1219931
अन्तर का बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

(ii) सहायक रोकड़ वही के जॉच में पाया गया कि वर्ष 2008–09 में इस निधि के अन्तर्गत ₹64,68013/– रहने के वावजूद किसी योजना का कियान्वयन नहीं किया गया। अतः योजना नहीं कियान्वयन किये जाने के कारणों से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

(iii) योजना से संबंधित योजना अभिलेख, योजना संचिका एंव योजना पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय, तब तक योजना पर किये गये व्यय ₹40,57,8937 को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

15. <u>बारहवीं वित्त आयोग</u>

वारहवीं वित्त आयोग के सहायक रोकड़वही के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए आय–व्यय विवरणी निम्न हैः–

		2008–09	2009–10
1	प्रा0 शे0	6185759	6185759
2	वर्ष का आय	शून्य	4742896
3	कुल आय	6185759	10928655
4	वर्ष का व्यय	शून्य	991311
5	अन्तशेष	6185759	9937344

अंकेक्षण आपत्तियॉः–

(i) दिनांक 31.03.10 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तशेषः₹ 9937344 दिनांक 31.03.10 को बैंक पास बुक का (A/c No:–77112 मगध ग्रामीण बैंक डिहरी) अन्तशेष– ₹470381 अन्तर= ₹9466963/–अन्तर का बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) सहायक रोकड़ वही के जॉच में पाया गया कि वर्ष 2008–09 में इस निधि में ₹ 6185759/–उपलब्ध रहने के वावजूद किसी योजना का कियान्वयन नहीं किया गया। योजना कियान्वयन नहीं किये जाने के कारणों से अगले अंकक्षेण को अवगत कराया जाय।

(iii) योजना से संबंधित योजना अभिलेख योजना संचिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय, तब तक योजना पर किये गये व्यय ₹991311/–अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

16 <u>जमा नहीः–</u>

H-Receipt के साथ भी शिवशंकर प्रसाद, Tc के दैनिक वसूली पंजी के जॉच के कम में पाया गया कि रसीद सं0 9501–9600 श्री शिवशंकर प्रसाद द्वारा 27.05.06 को प्राप्त किया गया। इस रसीद का उपयोग दिनांक 29.05.06 से दिनांक 31.05.06 तक किया गया, परंतु इसकी प्रविष्टि 2005–06 के दैनिक पंजी में नही कि गयी। साथ ही इसे पिछले अंकेक्षण में भी प्रस्तुत नही किया गया। इस रसीद की प्रविष्टि 2005–06 के दैनिक पंजी में नही की गयी। साथ ही इसे पिछले अंकेक्षण में भी प्रस्तुत नही किया गया। इस रसीद की प्रविष्टि 2008–09 के दैनिक पंजी में की गयी, परंतु इससे वसूल की गयी राशि ₹ 21189/– को नगर परिषद निधि में जमा नही किया गया। विवरण निम्न हैः–

क0 सं0	रसीद सं0	वसूली की तिथि	वसूल की गयी राशि

182

a

1 9501–9571 29.05.06 से 31.05.06 21189

अतः उपरोक्त राशि को नगर परिषद निधि में जमा किया जाय एवं जमा को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

17. बस पड़ाव की विभागीय वसूली:

बस स्टैंड की वसूली करने का कार्य श्री निवास तिवारी, प्रभारी रोकड़पाल को बोर्ड की दिनांक 21.08.07 की सामान्य बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुसर 700/– रू0 प्रतिदिन की दर से करने की जिम्मेवारी सौपी गयी। अप्रैल 08. से मई 10 तक श्री निवास तिवारी द्वारा वसूली की गयी राशि एवं वसूली के विरूद्ध नगर परिषद निधि में जमा की गयी राशि का विवरण निम्न है:

कम सं0	वसूली की माह	वसूली की गयी राशि/एग्रीमेंट के अनुसार जमा की जाने वाली राशि	नगर परिषद कोष में जमा की गयी राशि	अभियुक्ति
1	अप्रैल 08	21000	15000	
2	मई 08	21700	15000	
3	जून 08	21000	शून्य	
4	जुलाई 08	21700	शून्य	
5	अगस्त 08	21700	शून्य	
6	सतम्बर 08	21000	शून्य	
7	अक्टूबर 08	21700	शून्य	
8	नवम्बर 08	21000	शून्य	
9	दिसम्बर 08	21700	30000	
10	जनवरी 09	21700	14000	
11	फरवरी 09	19600	15000	
12	मार्च09	21700	12380	
13	अप्रैल 09	21000	शून्य	
14	मई 09	21700	शून्य	
15	जून 09	21000	शून्य	
16	जुलाई 09	21700	शून्य	
17	अगस्त 09	21700	शून्य	
18	सितम्बर 09	21000	शून्य	
19	अक्टूबर 09	21700	शून्य	
20	नवम्बर 09	21000	शून्य	
21	दिसम्बर 09	21700	शून्य	
22	जनवारी 10	21700	शून्य	
23	फरवरी 10	19600	शून्य	
24	मार्च 10	21700	60000	
25	अप्रैल 10	21000	शून्य	
26	मई 10	21700	शून्य	
		553700	161380	

अतः कम जमा= 553700–161380 =392320/–

Less मानदेय के रूप में भुगतान की गयी राशि =156000(26x6000) शेष= 236320/–

अतः उपरोक्त कम जमा की गयी राशि को नगर परिषद निधि में जमा की जाय एवं साथ ही मानदेय दिये जाने से संबंधित प्रमाण (प्राप्ति रसीद) अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

18 बस पड़ाव स्थित सुलभ शौचालय की बंदोबस्ती :–

"बस पड़ाव स्थित सुलभ शौचालय संचिका" की जॉच में पाया गया कि ज्ञापांक 326 दिनांक 30.07.2008 के द्वारा 4500/– रू0 प्रतिमाह की दर से अगस्त 2008 से श्री जुगनु राम, वार्ड जमादार को बंदोबस्ती किया गया। परंतु श्री राम द्वारा अभी तक नगर परिषद में कोई राशि नही जमा किया गया। ज्ञात

181

हो कि इस संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डिहरी के पत्रांक 365 दि0 21.09.10 के द्वारा श्री राम को अगस्त 2008 से अगस्त 2010 तक की कुल बकाया राशि 4500X25=112500/–जमा करने का आदेश दिया गया। अतः श्री राम से अभी तक की कुल बकाया राशि ₹144000(4500 X32 अगस्त 08 से मार्च 11 तक) वसूलकर नगर परिषद निधि में जमा किया जाय एवं जमा को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

19 प्रत्यक्ष विनियोजनः–

रोकड़पाल रोकड़बही का लेखापाल रोकड़बही के साथ मिलान करने के कम में पाया गया कि वसूलीकर्त्ता द्वारा जमा की गयी राशि को रोकड़पाल द्वारा बैंक में जमा न कर प्रत्येक माह नकद व्यय किया गया। इस प्रकार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में कुल ₹ 7,66,677.49 का प्रत्यक्ष विनियोजन किया गया।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट III पर)

अंकेक्षण आपत्तियाँ:–

(1) बिहार म्यूनिसिपल एकांउट्स रूल 1928 के नियम 22 के अनुसार किसी भी परिस्थिति में नकद व्यय नही किया जाना है।
अतः अंकेक्षण में यह स्पष्ट नही किया गया कि किस नियम के तहत और किसके आदेशानुसार नकद व्यय किया गया।
(2) नकद व्यय की प्रकिया को तत्काल बंद कर वसूल की गयी राशि बैंक में जमा कर तथा अभिश्रव पारित कर चेक निर्गत की प्रकिया अपनाकार परिषद आवश्यक व्यय किया जाय प्रत्यक्ष विनियोजन की राशि ₹ 7,66,677.49 अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

20. बकाया किराया

नगर परिषद डिहरी के अधीन दुकानों के मॉग एवं वसूली पंजी के जॉच के कम में पाया गया कि विभिन्न दुकानदारों के पास लम्बी अवधि से किराया बकाया था। परिषद द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत बकाया किराया सूचि के अनुसार कुल 31 दूकानदारों के पास दिनांक 31.03.10 को कुल ₹ 15,77,940/–किराया बकाया था (विस्तृत परिशिष्ट IV पर) अतः उपर्यूक्त राशि ₹15,77,940/–दूकानदारों से वसूलकर नगर परिषद निधि में जमा किया जाय।

21 शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूल की गयी राशि का सरकारी खाते में जमा नहीं किया जाना

नगर परिषद शिक्षा उपकर एंव स्वास्थ्य उपकर को भवन कर का 50% की दर से दिनांक 1.04. 1982 से वसूल करने के लिए प्राधिकृत है। वसूल की गयी राशि में से 10% वसूली प्रभार काटकर, शेष राशि सरकारी खाते में जमा करना था। वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान निम्नलिखित राशियाँ शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप मे वसूल की गयी, परन्तु इन्हें राज्य सरकार के वांछित शीर्ष में जमा नही किया गया

वर्ष		शिक्षा उपकर की वसूल की गयी राशि (₹में)	स्वास्थ्य उपकर की वसूल की गयी राशि (₹में)
2008–09		93999	117281
2009–10		473501	311309
	योग	567500	428590
	(–) 10%	56750	42859
		(क)510750	(ख)385731
	कुल राशि	(क)510750	
		(ख) 385731	
2007–08 तक कुल बकाया राशि		(ग) 6072103.70	
	योग	6968584.70	

अतः₹ 69,68,584.70 को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

22. शिक्षा उपकर की कम वसूली

180

राज्य सरकार के आदेशानुसार शिक्षा उपकर भी स्वास्थ्य उपकर की भाँति दिनांक 1.04.82 से भवन कर का 50% की दर से वसूली करना था परन्तु नगर परिषद डिहरी में शिक्षा उपकर वर्ष 2008–09 तक, भवन उपकर का 40% की दर से वसूल किया गया। जबकि वर्ष 2009–10 में शिक्षा उपकर स्वास्थ्य उपकर से अधिक वसूल किया गया।विवरण निम्न है–

क्रम सं0	वर्ष	शिक्षा उपकर	स्वास्थ्य उपकर
1	2007–08 तक	523125.58	712208.64
2	2008–09	93999.00	117281.00
3	2009–10	473501.00	311309.00
	कुल योग	1090625.58	1140798.64

चूकि भवन कर का 50% की दर से शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि समान होनी चाहिए। अतः शिक्षा उपकर भी ₹1140798.64 ही वसूल किया जाना चाहिए था शिक्षा उपकर की कम वसूल की गयी राशिः–1140798.64 वसूलनीय 1090625.58 वसूल की गयी राशि कम वसूल की गयी राशि=50,173.06 i.e.50173/– अतः कम वसूल की गयी राशि ₹50173.00 को वसूल कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया गया।

23. नगर परिषद के मकान करों का पुनरीक्षण नहीं

बिहार एवं उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 की धारा 106 के अनुसार नगर परिषद के भवन कर में वृद्धि हेतु प्रत्येक पॉच वर्ष पर करों के पुनरीक्षण का प्रावधान था। नगर परिषद द्वारा अंतिम कर निर्धारण अप्रैल 1976 में किया गया। तत्पश्चात विगत 34 वर्षो की अवधि में भवन कर एवं अनुसंगी करों का पुनरीक्षण नही किया गया । नगर परिषद में राजस्व में वृद्धि हेतु मकान कर के पुनरीक्षण के लिए कार्यवाही किया जाय।

24. अधिवक्ता को भुगतानः–

लेखापाल रोकड़बही की जॉच के कम में पाया गया कि अधिवक्ता को ₹ 27,500/– का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न हैः–

क0 सं0	दिनांक	राशि	कैशबुक पेज	अभियुक्ति
1	21.05.08	25,000	320	उच्च न्यायालय अधिवक्ता को भुगतान
2	27.07.08	2500	329	उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सतीश अग्रवाल को भुगतान

उपरोक्त राशि अधिवक्ता को किस उद्देश्य हेतु दिया गया, रोकड़ बही में स्पष्ट नही किया गया। अतः उद्देश्य को अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय साथ ही Suit Register का अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय तब तक उपरोक्त राशि ₹ 27,500/–अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

25 डिजल खरीद पर ₹2,02,336.27 का व्यय :–

लेखापाल रोकड़बही के जॉच के कम में पाया गया कि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में नगर परिषद डिहरी द्वारा तीन ट्रेक्टरों के लिए (ट्रेक्टर का नम्बर उपलब्ध नही) डिजल खरीद पर कुल ₹ 2,02,336. 27/– का व्यय किया गया।(विस्तृत विवरण परिशिष्ट V पर) उपरोक्त व्यय की गयी राशि की जॉच हेतू ट्रेक्टर का लौग बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया उसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय तब तक ₹2,02,336.27/–अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

26 ट्रेक्टर खरीद पर ₹23,10,151 का भुगतानः–

लेखापाल रोकड़बही एवं निकासी पंजी के जॉच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में कोषागार, सासाराम से ट्रेक्टर खरीदने हेतु ₹23,10,151/–की निकासी की गयी। विवरण निम्न हैः–

क0 सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	अभियुक्ति
1	A/598631	24.05.08	3,29,201	मेसर्स दुर्गा इंटरप्राइजेज

179

2	A/598632	31.05.08	9,40,000	स्वराज ट्रेक्टर्स खरीद हेतु मेसर्स सथ्था इंटरप्राइजेज, बक्सर
3	A/598635	03.07.08	10,40,950	टिपर की क्रय हेतु सथ्था एग्रो एजेसी, पटना
			23,10,151	

ट्रेक्टर खरीद से संबंधित कोटेशन, क्रय समिति की अनुशंसा, क्रय आदेश, अभिश्रव एवं संचिका अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया, जिसे अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय तब तक उपर्युक्त राशि ₹23,10,151 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

27. **रोहतास उद्योग पुंज पर बकाया भवन करः–**

नगर परिषद डिहरी द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार दिनांक 31.03.10 को रोहतास उद्योग पुंज पर भवन कर बकाया ₹ 62,11,242.00 था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट VI पर)

अतः रोहतास उद्योगपुंज से बकाया भवन कर वसूलकर नगर परिषद निधि में जमा किया जाय एवं जमा को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

28 **JCB मशीन के उपयोग के लिए 8700/– का भुगतानः–**

अभिश्रव की जॉच के क्रम में पाया गया कि दि0 05.01.09 को कचड़ा उठाने के लिए JCB मशीन रू0 850/–प्रतिघंटे की दर से किराये पर लिया गया। इसके लिए 8712.50/ JCB के ड्राइवर श्री संतोष को भुगतान किया गया।

अंकेक्षण आपत्तियॉ–

1 अभिश्रव सादे कागज पर दिया गया था।
2 अभिश्रव में S. No. नही दिया गया था।
3 "Paid by me" का Certificate नही दिया गया था।
4 Voucher No.नही दिया गया था।

उपरोक्त त्रुटियों को दुर कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तब तक उपर्युक्त राशि ₹ 8712.50 को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

29 **कम जमाः–**

रोकड़पाल रोकड़बही की लेखापाल रोकड़बही के जॉच के क्रम में पाया गया कि रोकड़पाल द्वारा ₹56,219/– नगर परिषद निधि में कम जमा किया गया।

विवरण निम्न हैः–

वर्ष 2008–09	
कर संग्राहकों एवं विविध रसीद द्वारा प्राप्त कुल आय–	11,08,960
प्राप्ति के विरूद्ध जमा–	(-) 7,54,135
शेष	3,54,825
वर्ष 2009–10	
कर संग्राहकों एवं विविध रसीद द्वारा प्राप्त कुल आय	14,88,570
प्राप्ति के विरूद्ध जमा	(-)10,20,500
शेष	4,68,070
कुल शेष 3,54,825+468070	822895
प्रत्यक्ष विनियोजन की राशि=	(-)766676
कम जमा=	56,219

कम जमा की राशि को नगर परिषद निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट VII पर)

30 **मॉग एवं वसूली पंजी (मोबाईल टावर)**

लेखापाल रोकड़बही की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में नगर परिषद डेहरी स्थित विभिन्न मोबाइल कंपनियो द्वारा ₹9,80,000/–नगर परषिद में जमा किया गया। विवरण निम्न है:–

क्र0 सं0	दिनांक	चेक सं0/ड्राफ्ट सं0	राशि	अभियुक्ति
1	23.06.08	उपलब्ध नही	2,80,000	एयरसेल कंपनी से प्राप्त राशि
2	19.09.08	"	1,20,000	आइडिया कंपनी से प्राप्त राशि
3	11.05.09	"	2,60,000	मोबाइल टावर से प्राप्त राशि
4	27.06.09	"	2,20,000	मोबाइल टावर से प्राप्त राशि
5	13.11.09	"	1,20,000	आइडिया टावर से प्राप्त राशि
		कुल=	980000	

नगर परिषद डेहरी द्वारा मोबाइल टावर से संबधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नही किया जाता, जिसके कारण नगर स्थित मोबाइल टावरों की सं0, वर्ष के प्रारंभ की राशि, वर्ष की मॉग एवं उसके विरूद्ध वसूली तथा वर्ष के अंत में कुल बकाया का पता नही चल सका।अतः मोबाइल टावर का मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण कर अंकेक्षण में दिखाया जाय।

31.**बस स्टैंड की वसूली कर्त्ताओं को मानदेय का भुगतान:–**

बस स्टैंड की वसूली करने का कार्य श्री निवास तिवारी, प्रभारी रोकड़पाल को बोर्ड को दिनांक 21.08.07 की सामान्य बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 700/रू0 प्रतिदिन की दर से करने की जिम्मेवारी सौपी गयी। चूँकि श्री तिवारी प्रभारी रोकड़पाल भी है, इसलिए वे वसूली का कार्य संपादन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त किए। फलस्वरूप कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश दि0 28.08.07 के अनुसार तीन अन्य व्यक्तियों को 2000/–रू0 प्रति व्यक्ति मानदेय का भुगतान कर वसूली का कार्य कराया गया। दिनांक 01. 04.08 से दि0 31.05.10 तक अवधि में निम्नांकित व्यक्तियों को कुल ₹1,56,000/–मानदेय का भुगतान किया गया।

1. अभय कुमार श्रीवास्तव, पिता स्व0 कैलाश लाल, न्यू एरिया, पो0 डालमियानगर, जिला– रोहतास, बिहार।
2. संजय कुमार सिन्हा, पिता स्व0 शिव कुमार प्रसाद, प0 मोहन बिगहा, पो0 डालमियानगर, जिला–रोहतास
3. राजेश कुमार राम, पिता–श्री मिलन राम, ग्रा0 बडीहा, पो0 शंकरपुर, जिला–रोहतास।

अंकेक्षण आपत्तियाँ

(i) मानदेय का भुगतान बस स्टैंड की वसूल की गयी राशि से ही किया गया हैं। चूँकि 700/–प्रतिदिन की दर से वसूल करने का निर्णय म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा लिया गया है, अतः मानदेय के भुगतान की स्वीकृति म्युनिसिपल बोर्ड से ही लेनी आवश्यक थी। अतः बोर्ड की स्वीकृति एवं बोर्ड मीटिंग फाईल आवश्यक जॉच हेतु अगले अंकेक्षण में दिखायी जाय।

(ii) कार्यपालक पदाधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि अगर बस स्टैंड की वसूली हेतु वसूलकर्त्ता को मानदेय के भुगताम के लिए बोर्ड की स्वीकृति प्रदान नही की गयी हो तो जबाबदेह व्यक्तियों से राशि वसूलकर राशि को नगर परिषद निधि में जमा करायी जाय।

मानदेय के रूप में भुगतान की गयी राशि ₹1,56,000/– को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

32 **एच रसीद अनउपलब्ध**

एच रसीद के भंडार पंजी की जॉच के क्रम में पाया गया कि एच रसीद सं0 52901–53000 जिसे श्री आलोक कुमार सिंह,TC को दिनांक 15.07.2008 को वसूली हेतु दिया गया था, परंतु श्री सिंह द्वारा उक्त रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

177

33 **अग्रिमः–**

लेखापाल रोकड़बही की उद्देश्य के कम में पाया गया कि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में नगर परिषद के कर्मचारियों को विभिन्न उद्देश्य हेतू अग्रिम ₹ 11,97,180/– दिया गया।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट VIII पर)

उपर्युक्त अग्रिम के सामंजस्य देखने हेतु अग्रिम पंजी एवं सामंजस्य अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय, तब तक ₹11,97,180/– को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

34 **लेखा परीक्षा परिणाम**

(क) अंकेक्षण के दौरान जमा करायी गयी राशि–शून्य
(ख) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गई राशि –97,17,761.26
(ग) वसूली के लिए सुझाव दी गयी राशि–5,22,901.00
(विस्तृत विवरण परशिष्ट –IX पर)

35. **कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप**

लेखा–परीक्षा के कम में जारी की गयी विभिन्न आपत्तियों एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी संचिकाएँ एवं पंजियों पर नगर परिषद डिहरी –डालमियानगर के कार्यपालक पदाधिकारी से दिनांक 29.03.11 को वार्त्तालाप की गयी।

36 **सामान्य अभ्युक्ति**

नगर–परिषद डिहरी –डालमियानगर के अभिलेखों का संधारण असंतोषप्रद था, इसमें पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है, ताकि वित्तीय कार्यकलाप का परिदृश्य स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सकें। रोकड़पंजी, सहायक रोकड़पंजी विहित प्रपत्र में तैयार किए जाने चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों यथा–अग्रिम पंजी, करों की मॉग व वसूली पंजी, योजना पंजी का संधारण किया जाना चाहिए। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली में वर्णित अभिलेखों को संधारित कराने का यथाशीध्र कार्यवाई की जाय।

(संजय कुमार सिंह)
स0 ले0 प0 अ0

176

पत्रांक0स्था0ले0प0/अधि0/ 224 दिनांक :- 07/09/2011

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डिहरी–डालमियानगर, को लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन अग्रसारित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि विशेष रूप से बोर्ड की बैठक में यह प्रतिवेदन रखा जाय तथा प्रतिवेदन प्राप्ति की तिथि के तीन महीने के अन्दर आपत्तिया का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को उचित माध्यम से निष्पादन हेतु भेजा जाय।

ह0/-

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/ अधिमार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि

ज्ञापांक0 स्था0ले0प0/अधि0/ 225-227 दिनांक:- 07.09.2011

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारितः–

1. प्रधान सचिव ,नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
2. जिलाधिकारी, रोहतास (सासाराम)
3. स0ले0प0अ0/अधिभार

पंकज
07/9/11

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/ अधिमार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
बिहार, पटना।

A.R.No-64/11-12

परिशिष्ट 1

कार्यालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की सूची :-
(प्रतिवेदन की कंडिका क्रं.   के संदर्भ में)

क्र. क्रं.	विवरण
1.	मैन्युअल रोकड़ बही
2.	बैंक पासबुक
3.	कोषागार पास बुक
4.	बैंक (निजी) / पास बुक
5.	कार्यालय ([illegible])
6.	रुक्का रसीद
7.	विविध रसीद
8.	रसीद से संबंधित भंडार पंजी
9.	रोकड़ पावती रोकड़ पंजी
10.	[illegible] . [illegible] से संबंधित अभिलेख
11.	दुकान किराया से संबंधित पंजी ।
12.	द्वादश वित्त आयोग रोकड़ बही
13.	तेरहवां वित्त आयोग मद रोकड़ बही
14.	कबीर [illegible] रोकड़ बही, [illegible] एवं दावा प्रपत्र (हितग्राही)
15.	टैक्स वसूली पंजी
16.	

[illegible]